797

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी-18, वनभवन, सैक्टर-6,पंचकूला: दूरभाष / फैक्स 91-0172-2563988, 2563861 E-mail: forestestablishment@yahoo.com

क्रमांक:– C. No.-55571/E-IV/ 311 दिनांक:–03-06-2025

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
नूंह–मेवात।

विषय: आरोप पत्र जारी करना– श्री जयपाल, उप वन राजिक।

****

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको श्री जयपाल, उप वन राजिक के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम–7 के तहत आरोप पत्र जारी करके भेजा जाता है। आरोप पत्र कर्मचारी को सौंपकर पावती इस कार्यालय को भेजें।

संलग्न / उपरोक्त।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
हरियाणा, पंचकूला।

पृ0 क्रमांक:– C. No.- 55571/E-IV/ 312-13 दिनांक:– 03-06-2025

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार को उनके पत्र क्रमांक 648 दिनांक 02.07.2024 के संदर्भ में।
2. वन मण्डल अधिकारी, भिवानी।

FCA
E
4/6/25

BHIWANI FOREST DIVN.
RECEIPT
No. 248
Dt. 04/06/2025
BHIWANI

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
हरियाणा, पंचकूला।

वन विभाग, हरियाणा

ज्ञापन

यादि क्रमांक : 314 दिनांक: 03-06-,2025

इसके द्वारा **श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज (अब कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, नूंह--मेवात)** को सूचित किया जाता है कि राज्यपाल हरियाणा द्वारा आरोपो से संलग्न विवरण में दिए गए आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के अधीन आपके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप इससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।

2. इसके द्वारा इससे आप अर्थात **श्री जयपाल, उप वन राजिक** को इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि आप सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। आपने कोई स्पष्टीकरण या प्रतिवाद, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या आप व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहते है।

3. इसके द्वारा आप अर्थात **श्री जयपाल, उप वन राजिक** को आगे सूचित किया जाता है कि यदि आप अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आपको **वन मण्डल अधिकारी, भिवानी** के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद किसी कार्य दिवस को उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी, यह बताया जाता है कि आपको केवल वही दस्तावेज दिखाए जाएंगे जो **वन मण्डल अधिकारी, भिवानी** के कार्यालय के पास उपलब्ध हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि, सरकार की राय में आपको किसी दस्तावेज को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नही है, तो आपको दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जाएगा। यदि आप ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं, जो **वन मण्डल अधिकारी, भिवानी**

आधार नहीं होगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जाएगा कि आपको कुछ भी प्रस्तुत नही करना है।

4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाए।

डॉ नवदीप सिंह, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,
हरियाणा, पंचकूला।

प्रेषित

श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज
द्वारा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, नूंह–मेवात ।

श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज (अब कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, नूंह–मेवात)

1. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 25.01.2023
2. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 26.07.2023
3. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 1584 दिनांक 11.08.2023
4. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 1872 दिनांक 28.08.2023
5. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 840 दिनांक 18.09.2023
6. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023
7. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023
8. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 3086–87 दिनांक 01.01.2024
9. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 3379–80 दिनांक 01.02.2024

डॉ नवदीप सिंह, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
हरियाणा, पंचकूला।

805

श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज (अब कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, नूंह–मेवात) के विरूद्ध अभिकथनों के विवरण।

श्री जयपाल, उप वन राजिक ने ईन्चार्ज, तोशाम रेंज के पद पर दिनांक 04.01.2022 से 26.04.2024 तक कार्य करते हुए निम्नलिखित भूल–चूक कीः–

वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के पत्र कमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023 द्वारा श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक को गांव खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे व चाक की गई क्षति रिपोर्ट पर कार्रवाई ना करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा कोई जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके उपरान्त वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र कमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023, पत्र कमांक 3086–87 दिनांक 01.01.2024, पत्र कमांक 3379–80 दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्मरण पत्र जारी किए गए, इसके पश्चात दिनांक 09.02.2024 को श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा अपना जवाब वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में प्रस्तुत किया जिसमें लिखा गया कि श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा तोशाम रेंज का चार्ज दिनांक 04.01.2022 को लिया गया था उस समय यह रास्ता चालु था। इस भूमि का वास्तविक पता दिनांक 22 व 23 सितम्बर 2021 को राजस्व विभाग से पैमाईश करवाने के बाद ही पता चला कि यहा पर 38 कनाल 5 मरला वन भूमि के अन्दर से 1959 वर्ग मी0 में यह रास्ता बनाया हुआ है। उस समय तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर ही क्षति रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2022 सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी के विरूद्व चाक की गई। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक ने लिखा है कि इसके पश्चात माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरूक्षेत्र में अभियोजन केस दायर करने हेतु सहायक जिला न्यायालय से सम्पर्क किया गया तो उन्होंनें यह आपत्ति लगाई कि क्षति रिपोर्ट एक सरकारी अधिकारी के विरूद्व जारी की गई है, जिसके लिए सरकार से पूर्वानुमति ली जाए, परन्तु वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के रिकार्ड अनुसार वन राजिक अधिकारी तोशाम श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक ने कोई सूचना वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में नहीं दी कि केस दायर करने में कोई आपत्ति लगाई गई है। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है वह तथ्यों से भिन्न पाया गया क्योंकि वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के रिकार्ड अनुसार भारत सरकार ने उनके पत्र कमांक दिनांक 25.01.2023 पत्र कमांक दिनांक 26.07.2023 द्वारा मामले में कार्रवाई ना करने बारे सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्व कार्रवाई करने बारे लिखा गया है ना कि मामले में पी0सी0 केस दायर करने बारे। यदि भारत सरकार द्वारा पी0सी0 केस दायर

गयी। वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र क्रमांक 1584 दिनांक 11.08.2023 द्वारा वन राजिक अधिकारी, तोशाम को पत्र जारी किया गया कि श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा किसके आदेशों से सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी को माईनिंग क्षेत्र से परिवहन के लिए रास्ता दिया हुआ है तथा इस बारे श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ? पूर्ण सूचना भेजने बारे वन राजिक अधिकारी, तोशाम को निर्देश दिए गए, परन्तु श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक, वन राजिक अधिकारी, तोशाम द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई। सूचना प्राप्त ना होने पर वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 28.08.2023 द्वारा वन राजिक अधिकारी, तोशाम को लिखा गया कि श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा वन अपराधी के खिलाफ पी0सी0 केस दायर करने बारे क्या कार्रवाई की गई? इस बारे भी पूर्ण सूचना वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में भेजें, परन्तु वन राजिक अधिकारी, तोशाम द्वारा वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में इस बारे कोई सूचना नहीं दी गई। जिसके कारण उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करते हुए वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र क्रमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023 द्वारा श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक को गांव खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे व चाक की गई क्षति रिपोर्ट पर कार्रवाई ना करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा कोई जवाब वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके उपरान्त वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र क्रमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023, पत्र क्रमांक 3086–87 दिनांक 01.01.2024, पत्र क्रमांक 3379–80 दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्मरण पत्र जारी किए गए। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक, तत्कालीन वन राजिक अधिकारी, तोशाम ने वन मण्डल अधिकारी, भिवानी द्वारा भेजे गए पत्रों का, कि सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा जारी क्षति रिपोर्ट में पी0सी0 केस लगाने बारे क्या कार्रवाई की गई, कोई जवाब नहीं दिया गया?

इसके अतिरिक्त मण्डल कार्यालय भिवानी के रिकार्ड अनुसार वन रक्षक द्वारा वन अपराध रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2022 को तो चाक कर दी गई थी, परन्तु उपरोक्त सम्बन्ध में अभियोजन केस वन राजिक अधिकारी, तोशाम के पत्र क्रमांक 387 दिनांक 13.09.2023 को लगभग 1 वर्ष 7 माह बाद स्वीकृति हेतू वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त ही केस माननीय पर्यावरण न्यायालय में दायर किया गया। रिकार्ड अनुसार श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज ने इससे पूर्व कोई सूचना पी0सी0 केस दायर करने से सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में नहीं दी।

• उपरोक्त कार्यवाही करके आप अर्थात् श्री जयपाल, उप वन राजिक ने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) 2016 नियम के नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड i., ii. तथा iii. और नियम 5 के खण्ड ii. की उल्लंघना की है।

उपरोक्त अनिमितताएं आप अर्थात श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज (अब कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, नूंह–मेवात) के गम्भीर कदाचार को व्यक्त करती हैं, जिनके लिए आपको हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के अधीन कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई का दायी बनाया जाता है।

डॉ नवदीप सिंह, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
हरियाणा, पंचकूला।

श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज (अब कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, नूंह–मेवात) के विरूद्ध आरोपों की सूची।

श्री जयपाल, उप वन राजिक ने ईन्चार्ज, तोशाम रेंज के पद पर दिनांक 04.01.2022 से 26.04.2024 तक कार्य करते हुए निम्नलिखित भूल–चूक की:–

वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के पत्र कमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023 द्वारा श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक को गांव खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे व चाक की गई क्षति रिपोर्ट पर कार्रवाई ना करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा कोई जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके उपरान्त वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र कमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023, पत्र कमांक 3086–87 दिनांक 01.01.2024, पत्र कमांक 3379–80 दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्मरण पत्र जारी किए गए, इसके पश्चात दिनांक 09.02.2024 को श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा अपना जवाब वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में प्रस्तुत किया जिसमें लिखा गया कि श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा तोशाम रेंज का चार्ज दिनांक 04.01.2022 को लिया गया था उस समय यह रास्ता चालु था। इस भूमि का वास्तविक पता दिनांक 22 व 23 सितम्बर 2021 को राजस्व विभाग से पैमाईश करवाने के बाद ही पता चला कि यहां पर 38 कनाल 5 मरला वन भूमि के अन्दर से 1959 वर्ग मी0 में यह रास्ता बनाया हुआ है। उस समय तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर ही क्षति रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2022 सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी के विरूद्ध चॉक की गई। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक ने लिखा है कि इसके पश्चात माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरुक्षेत्र में अभियोजन केस दायर करने हेतु सहायक जिला न्यायालय से सम्पर्क किया गया तो उन्होनें यह आपत्ति लगाई कि क्षति रिपोर्ट एक सरकारी अधिकारी के विरूद्ध जारी की गई है, जिसके लिए सरकार से पूर्वानुमति ली जाए, परन्तु वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के रिकार्ड अनुसार वन राजिक अधिकारी तोशाम श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक ने कोई सूचना वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में नहीं दी कि केस दायर करने में कोई आपत्ति लगाई गई है। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है वह तथ्यों से भिन्न पाया गया क्योंकि वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के रिकार्ड अनुसार भारत सरकार ने उनके पत्र कमांक दिनांक 25.01.2023 पत्र कमांक दिनांक 26.07.2023 द्वारा मामले में कार्रवाई ना करने बारे सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने बारे लिखा गया है, ना कि मामले में पी0सी0 केस दायर करने बारे। यदि भारत सरकार द्वारा पी0सी0 केस दायर

गया। वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र कमांक 1584 दिनांक 11.08.2023 द्वारा वन राजिक अधिकारी, तोशाम को पत्र जारी किया गया कि श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा किसके आदेशों से सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी को माईनिंग क्षेत्र से परिवहन के लिए रास्ता दिया हुआ है तथा इस बारे श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ? पूर्ण सूचना भेजने बारे वन राजिक अधिकारी, तोशाम को निर्देश दिए गए, परन्तु श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक, वन राजिक अधिकारी, तोशाम द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई। सूचना प्राप्त ना होने पर वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र कमांक 1872 दिनांक 28.08.2023 द्वारा वन राजिक अधिकारी, तोशाम को लिखा गया कि श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा वन अपराधी के खिलाफ पी0सी0 केस दायर करने बारे क्या कार्रवाई की गई? इस बारे भी पूर्ण सूचना वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में भेजें, परन्तु वन राजिक अधिकारी, तोशाम द्वारा वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में इस बारे कोई सूचना नही दी गई। जिसके कारण उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करते हुए वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र कमांक 2513-15 दिनांक 19.10.2023 द्वारा श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक को गांव खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे व चाक की गई क्षति रिपोर्ट पर कार्रवाई ना करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक द्वारा कोई जवाब वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके उपरान्त वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने पत्र कमांक 2585-87 दिनांक 08.11.2023, पत्र कमांक 3086-87 दिनांक 01.01.2024, पत्र कमांक 3379-80 दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्मरण पत्र जारी किए गए। श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक, तत्कालीन वन राजिक अधिकारी, तोशाम ने वन मण्डल अधिकारी, भिवानी द्वारा भेजे गए पत्रों का, कि सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी के विरुद्व क्या कार्रवाई की गई, तथा जारी क्षति रिपोर्ट मे पी0सी0 केस लगाने बारे क्या कार्रवाई की गई, कोई जवाब नहीं दिया गया ?

इसके अतिरिक्त मण्डल कार्यालय भिवानी के रिकार्ड अनुसार वन रक्षक द्वारा वन अपराध रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2022 को तो चाक कर दी गई थी, परन्तु उपरोक्त सम्बन्ध में अभियोजन केस वन राजिक अधिकारी, तोशाम के पत्र कमांक 387 दिनांक 13.09.2023 को लगभग 1 वर्ष 7 माह बाद स्वीकृति हेतु वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त ही केस माननीय पर्यावरण न्यायालय में दायर किया गया। रिकार्ड अनुसार श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज ने इससे पूर्व कोई सूचना पी0सी0 केस दायर करने से सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी, भिवानी में नहीं दी।

815

उपरोक्त कार्यवाही करके आप अर्थात् श्री जयपाल, उप वन राजिक ने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) 2016 नियम के नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड i., ii. तथा iii. और नियम 5 के खण्ड ii. की उल्लंघना की है।

उपरोक्त अनिमितताएं आप अर्थात श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन ईन्चार्ज, तोशाम रेंज (अब कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, नूंह–मेवात) के गम्भीर कदाचार को व्यक्त करती हैं, जिनके लिए आपको हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के अधीन कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई का दायी बनाया जाता है।

डॉ नवदीप सिंह, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
हरियाणा, पंचकूला।